

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष— 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स— 0755— 2555162
E-Mail : ceomp@mp.nic.in, Website:ceomadhyapradesh.nic.in

फा. क्र. 39 / 2012 / 3 / 1364
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/2/2012

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त (म.प्र.)

विषय: बूथ लेवल अधिकारी के उपयोग हेतु बैग क्रय करने वाबत् ।

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 01 / 2012 / 3 / 3667 दिनांक 27.07.2011

इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 01 / 2012 / 3 / 6158 दिनांक 05.12.2011(छाया प्रति संलग्न)

इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 39 / 2012 / 3 / 300 दिनांक 13.1.2012

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्रों की प्रतियां संलग्न का कृपया अवलोकन करें। फोटो निर्वाचक नामावली 2012 विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्य के लिए बूथ लेवल अधिकारी के किट के साथ बैग क्रय करने के संबंध में निर्देश दिए गए थे कि बी.एल.ओ. के उपयोग हेतु किट एवं बैग भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे। इस हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र के मान से रु. 250/- का आवंटन भी जारी किया गया था। कतिपय जिलों द्वारा समर्पण एवं विनियोजन की जानकारी का परीक्षण करने पर पाया गया है कि राशियां समर्पित की जा रही हैं। इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रदायित आवंटन में से बी.एल.ओ. आगामी वित्त वर्ष में उक्त कार्य के लिये आवंटन उपलब्ध कराने में बजट के अभाव के फलस्वरूप कठिनाई आने की संभावना है। आयोग के निर्देशानुसार जिले के समस्त बी.एल.ओ. को कीट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। बी.एल.ओ. को किट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा।

नियमानुसार क्रय करने की कार्यवाही करें। वित्त विभाग से छूट लेने हेतु छूट का प्रस्ताव भेजकर छूट प्राप्त कर क्रय करने को कार्यवाही करें।

(एस.एस. बंसल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25-2-2012

पृ.क्रमांक 39 / 2012 / 3 / 1365

प्रतिलिपि— सचिव, वित्त विभाग की ओर भेजकर निवेदन है कि बी.एल.ओ. बैग (हेतु) जिलों को आवंटन दिया गया है। प्रति मतदान केन्द्र हेतु एक बैग (रुपये 250/- का क्रय किया जाना है। प्रदेश में 47830 मतदान केन्द्र हैं। अतः बैग क्रय करने हेतु जिलों को क्रय के प्रतिबंध से छूट देने का कष्ट करें।

(एस.एस. तंसल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

मध्यप्रदेश